भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 481
उत्तर दिनांक 23/07/2026 को दिया गया

दुर्लभ मृदा तत्वों और चुम्बकों का उत्पादन

481. श्री राजेश परमानंद शुक्ला
श्री शंभू शरण पटेल
श्री सामिक भट्टाचार्य
श्री रामराव सखाराम वाडकुटे

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) दुर्लभ मृदा तत्वों और चुम्बकों के घरेलू उत्पादन और प्रसंस्करण को मजबूत करने के लिए कौन-कौन से उपाय किए गए हैं;

(ख) इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड (आईआरईएल) और अन्य एजेंसियों के माध्यम से दुर्लभ मृदा मूल्य श्रृंखलाओं को विकसित करने में क्या प्रगति हुई है;

(ग) इलेक्ट्रिक वाहनों, नवीकरणीय ऊर्जा और रक्षा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों के लिए आपूर्ति श्रंखला के लचीलेपन को सुनिश्चित करने हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने दुर्लभ मृदा सामग्रियों के लिए आयात पर निर्भरता कम करने के लिए नई परियोजना या भागीदारी की पहचान की है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधानमंत्री कार्यालय (डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) से (ङ) i) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 29 जनवरी, 2025 को राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (एनसीएमएम) को महत्वपूर्ण खनिजों (दुर्लभ मृदा तत्वों सहित) की दीर्घ-कालिक स्थायी आपूर्ति सुनिश्चित करने और खनिज अन्वेषण और खनन से लेकर लाभकारीकरण, प्रसंस्करण और आयु-समाप्त-उत्पादों से पुनः प्राप्ति तक सभी चरणों को शामिल करते हुए भारत की महत्वपूर्ण खनिज मूल्य श्रृंखला को सुदृढ़ करने के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

ii) खान मंत्रालय ने दुर्लभ मृदा तत्वों (आरईई) के 9 ब्लॉकों सहित 56 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की सफल नीलामी की है। इसके अलावा, केंद्र सरकार ने अन्वेषण लाइसेंस के 11 ब्लॉकों की भी सफलतापूर्वक नीलामी की है, जिसमें आरईई के तीन ब्लॉक शामिल हैं।

iii) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 में 2025 में संशोधन किया गया है, जिसके तहत एनएमईडीटी के दायरे को विदेशों में महत्वपूर्ण खनिज अन्वेषण और खनन का समर्थन करने के लिए विस्तारित किया गया है।

iv) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिनांक 08/09/2025 के का.ज्ञा. के अधीन एमएमडीआर अधिनियम 1957 की पहली अनुसूची के भाग बी में अधिसूचित परमाणु खनिजों और भाग डी में अधिसूचित महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों की सभी खनन परियोजनाओं को ईआईए अधिसूचना 2006 के खंड 7(III) (आई) के उप खंड (एफ) के संदर्भ में सार्वजनिक परामर्श से छूट दी गई है।

v) डीएई के तहत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम मेसर्स आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड को भारत में आरई युक्त खनिज मोनाज़ाइट से उच्च शुद्ध दुर्लभ मृदा ऑक्साइड के रूप में दुर्लभ मृदा तत्वों का उत्पादन करने का दायित्व सौंपा गया है। मोनाज़ाइट भारत में पाए जाने वाले दुर्लभ मृदा खनिजों का प्रमुख स्रोत है। आईआरईएल तीन स्थानों पर प्रचालनरत है, जिसमें खनिज रेत के एकीकृत खनन और प्रसंस्करण की सुविधा है और दुर्लभ मृदा के निष्कर्षण और शोधन के लिए एक-एक सुविधा है। आईआरईएल को तीन निक्षेपों (ओडिशा राज्य में दो और तमिलनाडु में एक) के लिए आशय पत्र प्रदान किया गया है और इन खनिजों की प्रसंस्करण क्षमता को बढ़ाने के लिए ए.पी. में एक निक्षेप के लिए संभावित पट्टेदार के रूप में नामित किया गया है।

vi) आईआरईएल ने डीएई, रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्रों के उपयोग हेतु 3 टीपीए समेरियम कोबाल्ट चुम्बकों के उत्पादन के लिए आंध्र प्रदेश के विज़ाग में एक दुर्लभ मृदा स्थायी चुंबक (आरईपीएम) संयंत्र स्थापित किया है। इन क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुसार चुम्बकों का उत्पादन किया जा रहा है।

vii) भोपाल में दुर्लभ मृदा और टाइटेनियम थीम पार्क में लैंथेनम, सीरियम और नियोडिमियम धातुओं के उत्पादन के लिए मिनी संयंत्र स्थापित किए गए हैं। थीम पार्क में, आयु-समाप्त चुम्बकों से दुर्लभ मृदा को पुनः प्राप्त करने के लिए एक सुविधा भी निर्मित की गई है।

viii) केंद्रीय बजट 2026-27 में खनन, प्रसंस्करण, अनुसंधान और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के खनिज-समृद्ध तटीय राज्यों को समर्पित दुर्लभ मृदा कॉरिडोर स्थापित करने के लिए सहयोग देने की घोषणा की गई।

ix) खान मंत्रालय द्वारा 14.11.2025 को मलबे/खनन अपशिष्ट/उड़न राख/लाल मिट्टी आदि से महत्वपूर्ण खनिजों की पुनर्प्राप्ति के लिए पायलट परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

x) सरकार ने महत्वपूर्ण खनिज मूल्य श्रृंखला में घरेलू क्षमताओं को मजबूत करने के लिए अनुसंधान और विकास हेतु एनसीएमएम के तहत नौ प्रमुख संस्थानों को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में मान्यता दी है।

xi) केंद्रीय बजट 2024-25 के दौरान, 25 महत्वपूर्ण खनिजों पर से सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया था। इसके अलावा, बजट 2026-27 में, भारत में महत्वपूर्ण खनिजों के प्रसंस्करण के लिए आवश्यक पूंजीगत वस्तुओं के आयात पर मूल सीमा शुल्क से छूट दी गई है।

xii) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महत्वपूर्ण खनिज पुनर्चक्रण (आरईई सहित) को बढ़ावा देने के लिए 1,500 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है जिससे गौण स्रोतों से महत्वपूर्ण खनिजों की पुनर्प्राप्ति और उत्पादन के लिए स्वदेशी पुनर्चक्रण क्षमता विकसित की जा सके। योजना दिनांक 02.10.2025 को शुरू की गई।

xiii) भारत सरकार ने हाल ही में एक व्यापक खान-से-चुंबक रणनीतिक कार्ययोजना आरम्भ की है जिसका उद्देश्य इस वैश्विक दुर्लभ मृदा स्थायी चुंबक (आरईपीएम) बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करना है और इसके लिए भारत में एकीकृत आरईपीएम विनिर्माण क्षमता के 6,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) के उत्पादन के लिए ₹ 7,280 करोड़ के वित्तीय परिव्यय के साथ सिंटरित दुर्लभ मृदा स्थायी चुंबक के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना शुरू की गई है।

*****